

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुकाम- निम्बाहेडा (राज0)

प्रकरण संख्या पत्थरगढी 153 /2022

दिनांक:-26.5.22

श्रवण कुमार पिता पंचमलाल जी जाति महाजन जेतावत निवासी बरडा तह0 निम्बाहेडा राज0 मो0नं09166192858

.....प्रार्थी

//बनाम//

1. दशरथ कुमार पुत्र पंचमलाल जी जाति महाजन जेतावत उम्र वयस्क निवासी बरडा तह0निम्बाहेडा राज0
2. भगवन्ती पुत्री पंचमलाल जी जाति महाजन जेतावत उम्र वयस्क निवासी बरडा तह0निम्बाहेडा राज0
3. हरिप्रकाश पिता हीरालाल जी जाति तेली उम्र वयस्क निवासी बरडा तह0निम्बाहेडा राज0
4. कमल पिता हीरालाल जी जाति तेली उम्र वयस्क निवासी बरडा तह0निम्बाहेडा राज0
5. जगदीश पिता रामेश्वरलाल जी जाति तेली उम्र वयस्क निवासी बरडा तह0निम्बाहेडा
6. सोहनलाल पिता जयचन्द जी जाति जाट उम्र वयस्क निवासी बोरखेडी तह0निम्बाहेडा

.....विपक्षीगण

कार्यवाही धारा 128 रा0ले0रे0एक्ट

प्रेषिति- श्री तहसीलदार, तहसील निम्बाहेडा राज0

जो कि प्रार्थी ने न्यायालय हाजा में अपनी खातेदारी की आराजीयात वाके मोजा बरडा प0ह0 बरडा तह0निम्बाहेडा में खाता सं0 222 की आराजी नं0 126 रकबा 0.0100 हेक्टैयर, गे.मु.चाह, आर0नं0 127 रकबा 0.0100 हेक्टैयर ट्युबवेल, आ0नं0 128 रकबा 0.9900 हेक्टैयर कुल किता 3 कुल रकबा 1.0100 हेक्टैयर कुल लगानी 18.81 रूपये स्थित हैं। इस आशय की पत्थरगढी पेश की। साथ में नकल जमाबंदी व नक्शा ट्रेस पेश की। पत्रावली का अवलोकन कर उस पर विश्वास करते हुए आपको जरिये हुक्मनामा आदेशित किया जाता है कि आप पक्षकारान को सूचित कर मौके पर पहुँच कर बिना किसी के कब्जे में दखलअन्दाजी किए आराजी की पत्थरगढी कर सीमा चिन्ह रोपे व फिस पत्थरगढी रूपया 1000 /- प्रार्थी से वसूल कर राजकोष में जमा करावें। पालना रिपोर्ट न्यायालय में दिनांक 13.6.22 को पेश करें।

यह हुक्मनामा आज दिनांक 26.5.22 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय के जारी किया गया।

उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेडा राज0
निम्बाहेडा (वित्तोइगद)

